उत्तर प्रदेश सरकार के असाधारण गजट
दिनांक 06 जुलाई, 2015 में प्रकाशनार्थ
विधायी परिशिष्ट भाग - 4
खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

उत्तर प्रदेश शासन
निर्वाचन अनुभाग
संख्या-11/2015/482/61/2015
लखनऊ : दिनांक : 06 जुलाई, 2015

अधिसूचना

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 10 की उप धारा (2) के खण्ड (ग) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 171 के खण्ड (3) के उप खण्ड (ड.) द्वारा मिले अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के नौ मनोनीत सदस्यों की रिक्तियों में निम्निलिखत चार व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करते है :-

1 श्री श्रीराम सिंह यादव, 16, सेक्टर 8 इन्दिरा नगर लखनऊ ।

2 श्रीमती लीलावती कुशवाहा, हनुमत नगर, जनौरा, रामनगर कालोनी, फैजाबाद ।

3 श्री रामवृक्ष सिंह यादव, 142, गंगोत्री नगर, हवेलिया झूँसी, ब्लाक-बहादुरपुर, तहसील-फूलपुर, इलाहाबाद ।

4 श्री जितेन्द्र यादव, आर-15/15 राजनगर, थाना-कविनगर, गाजियाबाद ।

चूँकि उत्तर प्रदेश विधान परिष्द के मनोनीत सदस्यों के नौ रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 171 के खण्ड (3) के उप खण्ड (ड.) के अधीन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा चार नामांकन हो गये है।

http://shasanadesh.up.nic.in

अतएव, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 74 के अनुसार राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये गये विधान परिष्द के सदस्यों के नाम सर्वसाधारण के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किये जाते है :-

1 श्री श्रीराम सिंह यादव

2 श्रीमती लीलावती कुशवाहा

3 श्री रामवृक्ष सिंह यादव

4 श्री जितेन्द्र यादव

आज्ञा से

(रमाकान्त पाण्डेय)
विशेष सचिव ।

In pursuance of the provisions of Article (348) (3) of the Constitution of India, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. 11/2015/482/61-2015, dated 06 July, 2015.

No. 11/2015/482 /61-2015 , dated 06 July, 2015

In exercise of the powers conferred by sub-section (e) of clause (3) of Article 171 of the constitution of India, *read* with clause *(c)* of sub-section (2) of section 10 of the representation of the people act, 1950 (43 of 1950), the Governor of Uttar Pradesh is pleased to nominate as members of Uttar Pradesh Legislative Council, the following four persons namely :-

1. Shri Shriram Singh Yadav, 16, Sector 8, Indira Nagar, Lucknow.
2. Smt. Lilavati Kushwaha, Hanumat Nagar, Janaura, Ramnagar Colony, Faizabad.
3. Shri Ramvriksh Singh Yadav, 142, Gangotri Nagar, Havelliya Jhunsi, Block-Bahadurpur, Tehsil-Phoolpur, Allahabad.
4. Shri Jitendra Yadav, R-15/15, RajNagar, Thana-Kavi Nagar, Ghaziabad.

to fill the vacant seats of the nine nominated members of the Uttar Pradesh Legislative Council.

http://shasanadesh.up.nic.in

Whereas nominations have been made by the Governor of Uttar Pradesh in pursuance of sub clause (e) of clause (3) of Article 171 of the Constitution of India for the purpose of filling the four seats of nine nominated members of the Uttar Pradesh Legislative Council;

Now, therefore, in pursuance of section 74 of the Representation of the People Act 1951, the names of the members nominated by the Governor for the Uttar Pradesh Legislative Council are hereby notified for general information :-

1. Shri Shriram Singh Yadav
2. Smt. Lilavati Kushwaha
3. Shri Ramvriksh Singh Yadav
4. Shri Jitendra Yadav

By order

(Ramakant Pandey)
Special Secretary.

संख्या -11/2015/482(1)/61-2015-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

(1) संयुक्त निदेशक, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को राज्य के असाधारण गजट दिनांक 06 जुलाई, 2015 में प्रकाशित करा दें तथा गजट की 100 प्रतियां इस विभाग को भेज दें ।

(2) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(3) प्रमुख सचिव, विधान परिषद, विधान भवन, लखनऊ ।

(4) संबंधित सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान परिषद ।

(5) समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

(6) संसदीय अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ ।

आज्ञा से

(रमाकान्त पाण्डेय)
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in